 जिला- सतना

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 395–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–1–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 324/2015–16 अपील.

1. महेश गांधी तनय स्व0 मदनलाल जैन
2. नरेश जैन तनय स्व0 मदनलाल जैन
3. राजेश जैन तनय स्व0 मदनलाल जैन
   सभी निवासी पुराना पावर हाउस के पास,
   तहसील रघुराजनगर जिला सतना, म0प्र0

———— आवेदकगण

विरूद्ध

1. आम जनता कोवगवां द्वारा वेदान्ती त्रिपाठी
   निवासी महाराणा प्रताप नगर सतना
   जिला सतना म0प्र0
2. कैलाशचन्द्र जैन मृतक वारिस—–
   (अ) कुसुम लता जैन पत्नी स्व0 कैलाशचन्द्र जैन
   (ब) गौरव जैन तनय स्व0 कैलाशचन्द्र जैन
   (स) अंकित जैन तनय स्व0 कैलाशचन्द्र जैन
   (द) अनुपम पुत्री स्व0 कैलाशचन्द्र जैन
   (य) अनुराधा पुत्री स्व0 कैलाशचन्द्र जैन
   (र) शिल्पी पुत्री स्व0 कैलाशचन्द्र जैन
   निवासी पुराना पावर हाउस के पास
   सतना जिला सतना म0प्र0

——— अनावेदकगण

....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक आवेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05/6/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर

आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 19–1–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने एक आवेदन के साथ मान0 उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक 8162/2016 में पारित आदेश दिनांक 03–5–2017 के आधार पर प्रकरण के निराकरण का अनुरोध किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03–5–2017 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि मान0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीसन स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 11–7–2014, इस न्यायालय का आदेश दिनांक 17–7–2014 एवं 21–7–2016 निरस्त कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को अधिकतम 6 माह में नये शिरे से सुनवाई कर बोलता हुआ आदेश पारित करने के निर्देश दिये हैं। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में दोनों पक्षो को सुनवाई कर पुनः नये शिरे से आदेश पारित करने हेतु भेजा जाता है। पक्षकारों सूचित हो। आदेश की प्रति के साथ प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाये।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर